

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत हरदा-बैतूल  
सेक्शन NH-47 के तहत टेमागांव से चिचोली तक मार्ग निर्माण हेतु वन मण्डल  
पश्चिम बैतूल की 6.362 हेक्टेयर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) वन मण्डल की 4.772  
हेक्टेयर एवं हरदा वन मण्डल की 0.061 हेक्टेयर कुल 11.195 हेक्टेयर वनभूमि  
(ऑनलाईन आवेदित 11.399 हेक्टेयर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा  
को उपयोग पर देने बाबत। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/153796/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-REC10/2014-BHO/Part-III/272 दिनांक 21.12.2023

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में REC की बैठक दिनांक 11.12.2023 के कार्यवाही  
विवरण दिनांक 21.12.2023 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रकरण में ली गई आपत्ति के  
संबंध में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा ने अपने पत्र  
दिनांक 05.01.2024 द्वारा जानकारी प्रस्तुत की है, जो कि संलग्न कर अनुरोध है कि प्रकरण  
में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1315/2023/10-11/126  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 05/01/2024

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बैतूल/होशंगाबाद (नर्मदापुरम), मध्यप्रदेश।
  2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पश्चिम बैतूल/होशंगाबाद (नर्मदापुरम) एवं  
हरदा, मध्यप्रदेश।
  3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन  
इकाई, हरदा, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल